5.01 म० प०

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि

प्रधान मन्त्री (पी.वी. नरसिंह राव) : इस समय स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वतन्त्रता सेनानियों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। इस पेंशन के अतिरिक्त स्वतन्त्रता सेनानियों को कुछ अन्य सुविधायें भी मिलती हैं जिनमें रेलवे पास और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी सामिल हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ और सुविधायें, जैसेकि टेलीफोन की सुविधा भी अभी दो दिन पहले उन्हें प्रदान की गई है।

भारत छोड़ो आन्दोलन की स्वर्ण-जयन्ती वर्ष में सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है इसके अन्तर्गत :

(क) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों को 750 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वतन्त्रता सेनानियों को 1000 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

(ग) स्वतन्त्रता सेनानी की विधवा के मामले में (दोनों श्रेणियों में) 750 रुपये प्रतिमाह की बजाय 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

प्रस्ताव है कि यह वृद्धि तत्काल लागू की जाए। इस अल्प वृद्धि से राष्ट्र उन निष्ठावान सेनानियों के प्रति अपनी कृतघ्नता और अपने आदर को फिर से स्मरण करता है जिन्होंने भारत की स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की बलि दी है।

***श्री आर. जीवरत्नम** (अर्कोनिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत छोड़ो आन्दोलन की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर स्वतन्त्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि करने के लिए माननीय प्रधानमन्त्री का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की ओर से इसके लिए सरकार का भी तहदिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे महान तमिल राष्ट्रीय कवि सुब्रामणि भारती ने लिखा है :

थानिअर विट्टा वलरथम सर्वेशा इपायोरे
कानिअरल कथथम करुगथ विरुवुलमो

"हमने स्वतन्त्रता के पौधे को सींचने में पानी नहीं दिया बल्कि हमने इसे अपने आंसुओं से सींचा है; हे भगवान ! क्या तुम इसे नष्ट होने नहीं दोगे ?"

स्वतन्त्रता सेनानियों ने अनेक मुसीबतों का सामना कर बहादुरी से अपना खून और पसीना बहाकर इस देश की स्वतन्त्रता को प्राप्त किया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अनेकों स्वतन्त्रता सेनानियों ने जनता की सरकार लाने, रखने में गहरी दिलचस्पी दर्शायी। ताकि देश की स्वतन्त्रता को बनाए रखा जाए।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अँग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मुझे उन दिनों का स्मरण हो रहा है जब मैंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था और अनेकों बार गिरफ्तारियां हुयीं। 1944 में मैं तंजौर जेल में बन्द था। तभी श्रमती सरोजिनी नायडु को जेल से रिहा किया गया था। पूरा राष्ट्र हैरान रह गया और खामोशी छा गई। उस समय कोई भी आंदोलन सक्रिय नहीं था। श्रीमती सरोजिनी नायडु ने 26 जनवरी, 1944 को स्वतन्त्रता दिवस मनाए जाने के लिए नियत किया। इससे स्वतन्त्रता आंदोलन में फिर से जान आ गई। उस दिन तंजौर जेल में बन्द हम स्वतन्त्रता सेनानियों ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और सैनिकों की तरह जेल के अन्दर ही एक जलूस निकाला। इसके लिए हमें बुरी तरह से पीटा गया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन को भी उस दिन अन्य साथी-स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ पीटा गया था।

इस प्रकार स्वतन्त्रता सेनानियों ने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना खून और पसीना बहाया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले देश की बागडोर स्वतन्त्रता सेनानी जवाहर लाल नेहरू ने संभाली। उनके पदचिह्नों पर चलकर श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री कामराज और श्री राजीव गांधी जैसे महान नेताओं ने हमारे समक्ष अच्छे शासन के उदाहरण प्रस्तुत किए। अब श्री पी.वी. नरसिंहराव देश का सही मार्गदर्शन और शासन कर रहे है। मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की ओर से एक बार फिर सरकार का धन्यवाद करता हूं।

श्री चित्तबसु (बारसाट) : क्या मैं उनका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं। महोदय, पेंशन की स्वीकृति में देरी किए जाने के बारे में कई शिकायतें हैं। यहां तक कि इन मामलों के बारे में राज्य सलाहाकार समिति ने भी सिफारिश की है। क्या प्रधान मन्त्री इन मामलों पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो ध्यान को विचलित करने वाली बात हुई।

श्री ए. अशोकराज (पैरम्बदूर) : हमारे तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री ने ऐसा किया है।

5.06 म०प०

[अनुवाद]

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

और

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) विधेयक—जारी

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्तमंत्री ने जो विशेष न्यायालय विधेयक प्रस्तुत किया है, वह दोषी लोगों को सजा देने के सम्बन्ध में असाधारण परिस्थितियों से निपटने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में, मैं दलालों, बैंक अधिकारियों के अलावा, जिनमें से कुछ ने तो दलालों की इस हद तक प्रत्यक्ष सहायता की है कि बिना उनके हस्ताक्षर के अथवा